

न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.

:: ज्ञापन ::

अम्बिकापुर, दिनांक 4/02/2022

क्रमांक 619 / वाचक-1/2022
प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड, राजनांदगाँव, (छ.ग.)

विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-08/अ-82/2021-22 ग्राम सपना का राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

-00-

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा सपना व्यपवर्तन के निर्माण हेतु ग्राम सपना तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा के रकबा 6.691 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना प्रारूप की तीन-तीन प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर राजपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 4/02/2022

पृ. क्रमांक 620 / वाचक-1/2022
प्रतिलिपि :-

1. संचालक जनसंपर्क, प्रकाशन संचनालय महिला थाने के पास रायपुर को सूचनार्थ। प्रारंभिक अधिसूचना प्रारूप की पांच-पांच प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है। दो स्थानीय समाचार-पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर समाचार-पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अंबिकापुर जिला सरगुजा को प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय का अवगत करावें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ प्रेषित। प्रारंभिक अधिसूचना को राजस्व विभाग की वेबसाईट cg.nic.in/revenue में अपलोड करावे, और तदाशय का प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को 07 दिवस के अन्दर उपलब्ध करावें।
4. तहसीलदार, अंबिकापुर को अधिसूचना प्रकाशन की तीन प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित ग्राम में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन करावें, साथ ही एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
:: प्रारंभिक अधिसूचना ::**

अम्बिकापुर दिनांक 03/02/2022

क्रमांक- 08/अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

- अनुसूची -												
अर्जित भूमि का विवरण										धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	खसरा नं./क्षेत्रफल हेक्टेयर में									
1	2	3	4				5				6	7
सरगुजा	अम्बिकापुर	सपना / 28	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)	सपना व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु।
			422	0.102	423	0.085	631	0.234	629	0.510		
			634	0.235	635	0.073	636/1	0.032	940/11	0.081		
			940/2	0.180	940/1	0.062	533	0.128	532	0.056		
			455/2	0.038	535/26	0.080	530/2	0.036	455/1	0.038		
			529/1	0.056	527/3	0.064	527/1	0.016	520/1	0.024		
			522	0.044	27/3	0.029	29/3	0.026	518	0.004		
			515	0.054	514	0.112	510/1	0.042	448/2	0.014		
			21/2	0.042	453/1	0.060	454	0.040	52	0.136		
			51	0.030	455/3	0.038	456	0.032	457/1	0.024		
			458/8	0.009	164/12	0.008	457/2	0.008	458/3	0.020		
			21/6	0.042	461/3	0.052	460/2	0.020	458/1	0.062		
			164/17	0.062	164/13	0.048	164/15	0.042	164/4	0.056		
			159/2	0.008	158/3	0.103	69/1	0.066	131/3	0.040		
			69/7	0.060	131/2	0.040	132/5	0.092	69/5	0.090		
			132/14	0.004	131/1	0.040	132/7	0.064	69/2	0.054		
			49/1	0.010	68/2	0.068	50/1	0.068	49/5	0.010		
			29/1	0.026	511/1	0.080	29/2	0.056	511/2	0.080		
			421/9	0.072	188/5	0.036	421/8	0.101	421/4	0.016		
			409/3	0.040	188/3	0.102	421/11	0.032	188/6	0.082		
			421/10	0.040	409/5	0.030	409/4	0.030	50/2	0.068		
			419	0.004	410/4	0.052	410/2	0.048	410/1	0.026		
			346/1	0.040	348/2	0.036	379	0.012	410/3	0.004		
			411	0.040	412	0.048	394	0.024	391	0.056		
			392	0.040	351	0.056	373/1	0.020	378/1	0.031		
			385	0.072	373/2	0.004	372	0.042	377/2	0.035		
			370	0.078	378/3	0.004	380/3	0.028	262	0.072		
			253	0.080	254	0.028	255	0.032	257	0.030		
			225/1	0.056	219	0.136	228/1	0.084	229/8	0.014		
			229/6	0.028	229/7	0.040	229/1	0.026	230	0.024		
			231	0.006	232	0.004	213	0.057	212/2	0.120		
			188/1	0.036	188/2	0.016	263/4	0.004	263/3	0.004		
			कुल खसरा-124 कुल रकबा 6.691 हेक्टेयर									

(Handwritten Signature)

02. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध ब्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघत निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृति ब्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
03. भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के कार्यालय में किया जा सकता है।
04. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नहीं है।
05. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है, तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
06. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।



(प्रदीप साहू)
भू-अर्जन अधिकारी
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
सरगुजा

एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग